राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषिति:-

1- समस्त जिला कलेक्टर्स,
राजस्थान ।
2- समस्त उपखण्ड अधिकारी,
राजस्थान ।

क्रमांक:प0 5(1)राज-6/97/15 जयपुर, दिनांक: 15-12-2000

-: परिपत्र :-

विषय:- राजकीय भूमि का आवंटन एवं नियमन, नदी खातलो तथा पेटा कास्त भूमि का स्थाई आवंटन ।

राजकीय भूमि का आवंटन एवं नियमन तथा नदी खातलो एवं पेटा कास्त भूमि का स्थाई आवंटन खण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है । यह आवंटन निरंतर रहने वाली प्रक्रिया है । जब कभी उपखण्ड अधिकारी को यह जानकारी हो जावे कि किसी गांव में इस प्रकार की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है । उसी समय उन्हें नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्यवाही करते रहना चाहिए । किन्तु देखने में यह आ रहा है कि सम्बन्धित अधिकारी एवं जिला कलेक्टर इस कार्य को सम्पादित करने में लगातार अनेक वर्षों तक पूरी लापरवाही बरत रहे है । पिछले आठ-नौ वर्षों से यह कार्यवाही सम्पादित नहीं कर रहे है । जिसके परिणामस्वरूप धारा-91 के मामले अत्यधिक बढ़े हुए है । कास्तकारों पर अनावश्यक रूप से शास्ती लग रही है एवं अस्थाई आवंटियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ।

इस सम्बन्ध में समस्त जिला कलेक्टर्स एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व अभियानों, समस्या समाधान शिविरों अथवा अन्य किसी विशेष कार्यक्रमों का इन्तजार किये बिना इस कार्य को निरन्तर सम्पादित करें और इस कार्यालय को यह सूचित करें कि किन-किन उपखण्डों में कब-कब यह कार्य सम्पादित किये जावेंगे ।

विभाग द्वारा पूर्व परिपत्र क्रमांक प. 15(12)राज-6/99/15 दिनांक 3-5-2000 से निर्देशित किया गया था । जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर राजस्व कार्यों का निस्तारण करने पर बल दिया गया था :-

1- समस्त विचाराधीन नामान्तकरण के मामलों का निस्तारण 30 जून, 2000 तक कर दिया जाये । यह सरकार के 15 सूत्रीय

----- 2

आर्थिक एवं सामाजिक एजेण्डा का एक बिन्दु है एवं समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दिये जा चुके है ।

2- मरूस्थलीय जिलों में उपलब्ध अतिरिक्त सरप्लस भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अनुसार एक हैक्टयर तक के टुकड़ों का किया जावे ।

3- तालाब पेटा का अस्थायी आवंटन के समस्त मामलों का निपटारा किया जावे ।

4- आपसी सहमति से भूमि विभाजन के समस्त विवादाधीन मामलों का निपटारा मौके पर किया जावे ।

5- गांवों में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि का चिन्हिकरण कर आवश्यकता अनुसार आरक्षण कर दिया जावे एवं सार्वजनिक व निजी प्रयोजनार्थ कृषि भूमि को अकृषि में आवंटन/परिवर्तन के मामलों को निस्तारित किया जावे ।

इसी प्रकार बंटवारे के मामलों में पत्रांक प. 5(1)(राज-6/97/1 दिनांक 28.3.2000 व परिपत्र क्रमांक प. 5(1)(राज-6/97/15 दिनांक 2.9.2000 से भी निस्तारण बाबत निर्देश दिए गए है जिसकी पालना भी सम्यक रूप से नही की जा रही है ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें ।

शासन सचिव

शेखर : 7 | 200